न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 78/2016 (225 आरटीए) मांगीलाल वगै. बनाम चौखाराम वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2016/00111)

1 मांगीलाल पुत्र श्री प्रहलादराम,
2 पूनाराम पुत्र श्री प्रहलादराम,
3 मुकनाराम पुत्र श्री प्रहलादराम
सभी जातियान विश्नोई, निवासीगण–तिलवासनी, तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

.... अपीलांट्स

बनाम

1 चौखाराम पुत्र लूम्बाराम जाति विश्नोई, निवासी तिलवासनी, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
2 दोलाराम पुत्र धोकलराम,
3 ओपाराम पुत्र देवाराम,
4 समुड़ी पुत्री प्रहलादराम,
5 मीरा पुत्री प्रहलादराम,
6 जेती पुत्री प्रहलादराम,
7 बस्तु पुत्री प्रहलादराम,
8 गुड्डी पुत्री प्रहलादराम सभी जातियान विश्नोई निवासीगण तिलवासनी तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
9 तहसीलदार पीपाड़ शहर।

.... रेस्सपोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर
दिनांक 06.06.2016 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 151/2014

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्नोई।
2 रेस्पो. सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री लादूराम पूनिया।
3 रेस्पो. सं. 2 से 8 प्रोफार्मा पक्षकार।
4 रेस्पो. 9 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 27.07.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर के राजस्व प्रार्थना पत्र सं.

27/7
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

151/2014 में पारित आदेश दिनांक 06.06.2016 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर के समक्ष धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पो. सं. 1 की ओर से राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 151/2014 पेश किया कि प्रार्थी के खातेदारी की भूमि खसरा नं. 635 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा ग्राम तिलवासनी में स्थित है उक्त भूमि में आने जाने का रासता खसरा नं. 630 की पश्चिमी माठ से होकर चलता है। इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थना पत्र को दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया एवं अप्रार्थीगण ने जबाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु न तो कभी रास्ता मौजूद था न ही वर्तमान में चलायमान है। प्रार्थी के खेत के लिए वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार पीपाड़ शहर से मौका रिपोर्ट भी मंगाई। तत्पश्चात पत्रावली न्याय आपके द्वारा कैंप तिलवासनी में रख कर बिना सुनवाई किए मनमाने रूप से आलोच्य आदेश पारित कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता दिए जाने का आदेश कर दिया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2016 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने से उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण ने राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया। राजीनामा पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 प्रकरण में उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की ओर से निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है। जो इस प्रकार है :–

- हस्तगत अपील बहस के स्तर पर लंबित चल रही है परंतु पक्षकारों ने आपसी समझाइस से एवं लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा कर लिया है।
- राजीनामा के अनुसार पक्षकारों ने तय किया है कि अपील को दोनों पक्ष स्वीकार करवा कर खसरा नं. 630 जो अपीलांट का है उसमें से रास्ता दिया गया है उसी भूमि का बेचान नामा अपीलांट, रेस्पो सं. 1 या उसके कहे अनुसार किसी भी व्यक्ति को करवाएगें। एवं उसके बदले में रेस्पो. सं. 1 खसरा नं. 629 में से 9 बिस्वा भूमि बिना प्रतिफल के व 11 बिस्वा भूमि 1,25,000/– लेकर बेचाननामा करवाएगें।
- रेस्पो. सं. 1 ने जो राशि खसरा नं. 630 के बदले आदेश दिनांक 06.06.2016 की पालना में जमा करवाए हैं वो वापस प्राप्त करेंगे। अगर अपीलांट के खाते जमा हैं तो वापस रेस्पो. सं. 1 को अपीलांट

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

देंगे।

- अपीलांट खसरा नं. 630 में से जो बेचाननामा करवाएंगे उस जमीन की चौड़ाई 13 फुट व लंबाई में खसरा नं. 635 तक पहुंचने तक रहेगी।
- दोनों पक्ष राजस्व रिकार्ड की स्थिति आदेश दिनांक 06.06.2016 के पूर्व की बहाल करवाने के लिए बाध्य रहेंगे तथा एक दूसरे के पक्ष में किए गए बेचाननामे के अनुसार एक दूसरे को कब्जा सुपूर्द करने व म्यूटेशन भरवाने के लिए बाध्य रहेंगे।
- पक्षकारान के मध्य लिखित राजीनामा संलग्न भी है।

उभयपक्षकारान व उनके अधिवक्तागण ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा को तस्दीक कर अपील अपीलांट स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड को पूर्व की स्थिति में बहाल करने का आदेश फरमाया जावे।

5 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख एवं राजीनामा का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

6 प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है व अपने रास्ते की समस्या का समाधान उपरोक्त राजीनामा के अनुसार करना चाहते हैं। प्रकरण का मुख्य बिंदु भी रास्ते की समस्या का समाधान करना ही था अतः प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए राजस्व रिकार्ड को पूर्व की स्थिति में बहाल करने कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। अतः राजीनामा के आधार पर अपील स्वीकार योग्य है।

7 अतः अपील अपीलांट जरिए राजीनामा स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2016 निरस्त किया जाता है। अपीलाधीन आदेश की पालना में राजस्व रिकार्ड में किए गए इन्द्राज को निरस्त कर राजस्व रिकार्ड की अपीलाधीन आदेश से पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश दिए जाते हैं।

27/7/18
(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

8 निर्णय आज दिनांक 27.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/7/18
(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर